

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

\* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 6/8/19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹1058.85600 लाख (दस करोड़ अठान्न लाख पचासी हजार छः सौ रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के सभी कार्यरत शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 4 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹1058.85600 लाख (दस करोड़ अठान्न लाख पचासी हजार छः सौ रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	पटना	नगर पंचायत, खुशरूपुर	18,06,000.00
2		नगर पंचायत, विक्रम	25,02,600.00
3	भोजपुर	नगर पंचायत, पीरो	35,44,800.00
4		नगर पंचायत, जगदीशपुर	34,29,600.00
5		नगर पंचायत, कोईलवर	17,90,400.00
6		नगर पंचायत, शाहपुर	18,26,400.00
7	रोहतास	नगर पंचायत, नोखा	30,07,800.00
8	नालंदा	नगर पंचायत, ईसलामपुर	39,07,800.00
9		नगर पंचायत, सिलाव	29,04,000.00
10	गया	नगर पंचायत, शेरघाटी	40,17,000.00
11	जहानाबाद	नगर पंचायत, मखदुमपुर	40,02,000.00
12	औरंगाबाद	नगर पंचायत, रफीगंज	37,59,600.00
13	नवादा	नगर पंचायत, बारसलीगंज	44,16,600.00
14		नगर पंचायत, हिसुआ	33,19,200.00
15	सीतामढ़ी	नगर पंचायत, सुरसंड	30,00,000.00
16	वैशाली	नगर पंचायत, लालगंज	35,81,400.00
17	पू० चम्पारण	नगर पंचायत, सुगौली	46,02,000.00
18		नगर पंचायत, अरेराज	30,30,000.00
19		नगर पंचायत, केसरिया	20,71,800.00
20	पं० चम्पारण	नगर पंचायत, रामनगर	63,52,200.00
21	मधुबनी	नगर पंचायत, घोघरडीहा	25,54,200.00
22	समस्तीपुर	नगर पंचायत, दलसिंह सराय	30,40,800.00

५

23	बेगूसराय	नगर पंचायत, बखरी	52,75,200.00
24	सारण	नगर पंचायत, सोनपुर	33,76,200.00
25		नगर पंचायत, एकमा बाजार	38,70,600.00
26	सिवान	नगर पंचायत, महाराजगंज	28,00,800.00
27		नगर पंचायत, मैरवा	22,45,800.00
28	गोपालगंज	नगर पंचायत, कटैया	24,75,600.00
29	सहरसा	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर	41,26,200.00
30	किशनगंज	नगर पंचायत, ठाकुरगंज	26,23,800.00
31	कटिहार	नगर पंचायत, मनिहारी	36,25,200.00
32		नगर पंचायत, बारसोई	30,00,000.00
			<b>10,58,85,600.00</b>

कुल स्वीकृत राशि ₹1058.85600 लाख (दस करोड़ अठावन लाख पचासी हजार छः सौ रु०) मात्र।

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹1058.85600 लाख (दस करोड़ अठावन लाख पचासी हजार छः सौ रु०) मात्र का उपयोग नगर निकायों द्वारा अपने शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- (क) डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,
- (ख) कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,
- (ग) कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- (घ) कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,
- (ङ) नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,
- (च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

3. उक्त स्वीकृत ₹1058.85600 लाख (दस करोड़ अठावन लाख पचासी हजार छः सौ रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक- 3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹1058.85600 लाख (दस करोड़ अठावन लाख पचासी हजार छः सौ रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 732, दिनांक- 31.07.2019 एवं पत्रांक- 687, दिनांक- 19.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि संबंधित नगर पंचायतों के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
7. स्वीकृत कुल राशि ₹1058.85600 लाख (दस करोड़ अठावन लाख पचासी हजार छः सौ रु०) मात्र की निकासी उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-04/2019 के पृष्ठ सं०-.....12...../टि० पर दिनांक- 02/08/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....12...../टि० पर दिनांक- 02/08/2019 को प्राप्त है।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
06.08.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-04/2019 947 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-6/8/19  
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।